


## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कुरुज

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुरुज  
 व भू.अ.नि. कुरुज की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा /नामव  
 तहसीलदार कुरुज की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम भाण्डपिपरा, रेण्डा तहसील रेलमगरा व  
 जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 160 में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>भाण्डपिपरा</u>	160	<u>जगदीश पुत्र मेरुलाल पति जाट</u>	<u>जगदीश चन्द सिंह पुत्र मेरुलाल पति जाट</u>


  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 लोक अदालत  
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक:- 207  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- **4 OCT 2025**

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 लोक अदालत  
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....